

TO BE PUBLISHED IN  
THE GAZETTE OF INDIA  
EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 3, SUB SECTION (iii)  
IMMEDIATELY

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi-110001.

No. 56/2011/PPS-II/

Dated : 16<sup>th</sup> September, 2011  
25<sup>th</sup> Bhadra, 1933, (Saka)

### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (i) This Order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2011.
- (ii) It shall come into force with immediate effect.

2. Amendment to paragraph-6A:-

In the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, (hereinafter referred to as the `Principal Order), in paragraph-6A, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :-

`(v) At the last general election to the House of the People from the State, or at the last general election to the Legislative Assembly of the State, the candidates set up by the

Party have secured not less than eight percent of the total valid votes polled in the State’.

3. Insertion of new paragraph 10B :-

After paragraph-10A of the Principal Order, the following paragraph shall be inserted:-

**“10B - Concession to candidates set up by newly registered (unrecognized) parties and to unrecognized parties which were earlier recognized parties more than 6 years back.**

The candidates set up by a registered unrecognized political party at the general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol from the list of free symbols, subject to the fulfillment of the following conditions :-

(A) At a general election to the Legislative Assembly-

- (i) The party sets up candidates at least in 10% ( ten percent) of the assembly constituencies in the State, subject to a minimum of five constituencies in States having forty or less seats;
- (ii) The intimation with regard to the serial numbers and names of the constituencies concerned is given by the party to the Commission latest by three clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is to be issued ;
- (iii) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission for the election;
- (iv) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such

punitive action as may be permissible under the law for making a false declaration before the Commission.

(B) At a general election to the House of the People –

- (i) The party sets up candidates at least in 10% ( ten percent) of the parliamentary constituencies in the State, in which it seeks allotment of a common symbol to its candidates, subject to a minimum of two constituencies in States having less than five parliamentary constituencies allotted to the State;
- (ii) The intimation with regard to the serial numbers and names of the constituencies concerned is given by the party to the Commission latest by three clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is to be issued;
- (iii) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission for the election;
- (iv) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as may be permissible under the law for making a false declaration before the Commission.

**Explanation –**

For the removal of doubt, it is hereby clarified that –

- (i) the concession of allotment of common symbol to the candidates of a registered unrecognized party under this paragraph shall be only a one-time facility either at a general election to the House of the People or to a State Legislative Assembly, as the party may choose, and a party that has availed of this concession once shall not be eligible for the concession in any subsequent general election;

- (ii) the symbol allotted as a common symbol to the candidates of a party under this paragraph shall be available for allotment to candidates set up by the other parties or independent candidates in those other constituencies in which that party has not set up its candidates;
- (iii) if two or more parties give preference for the same symbol, then the question of allotment of the symbol to one of such parties shall be decided by draw of lots in such manner as may be directed by the Commission;
- (iv) if it is not possible for the Commission for any reason to allot a common symbol to the candidates of a party from out of the list of symbols for which it has given its preference under this paragraph, some other symbol from the list of free symbols may be allotted to that party in consultation with that party;
- (v) notwithstanding anything contained in paragraph 10A, a political party which was earlier a recognized political party and which lost its recognition more than 6 years back will also be eligible under this paragraph to the one-time concession of allotment of the symbol which was earlier reserved for the party, at a general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State, held after expiry of six years since the party lost its recognition, subject to the fulfillment of each of the conditions specified under clause(A) or (B), as the case may be, except the condition in sub-clause (iii) thereof. ‘

4. Substitution of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph-12-

For the existing clause(c) of sub-paragraph (1) of paragraph-12 of the Principal Order, the following clause shall be substituted, namely, :-

‘(c) a candidate referred to in paragraph-10 or paragraph-10A or paragraph-10B,‘ .

By Order,

(K.F.WILFRED)  
PRINCIPAL SECRETARY TO THE  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड-(iii)  
में तत्काल प्रकाशनार्थ ।

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110 001.

सं: 56 / 2011 / पी0पी0एस0-II

दिनांक: 16 सितम्बर 2011.  
25 भाद्रा, 1933 (शक).

### अधिसूचना

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात:-

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

(i) यह आदेश निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2011 कहा जाएगा ।

(ii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

#### 2. पैरा-6क में संशोधन :-

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 (इसके पश्चात, 'मुख्य आदेश' के रूप में संदर्भित) में विद्यमान पैरा-6क, खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(v) राज्य से लोक सभा या राज्य की विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों ने उस निर्वाचन में, उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों के आठ प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों !'

3. नए पैरा 10ख का अंतर्वेशन :-

मुख्य आदेश के पैरा 10क के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंतर्वेशित किया जाएगा :-

"10ख – रजिस्ट्रीकृत नए दलों (अमान्यताप्राप्त) तथा अमान्यताप्राप्त दलों, जो कि 6 वर्ष से पूर्व मान्यता प्राप्त दल थे, द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत :-

राज्य की विधान सभा या लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आवंटित किया जाएगा बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हो :-

(क) विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में –

- (i) राजनीतिक दल राज्य के विधान सभा निर्वाचनों में कम से कम 10% (दस प्रतिशत) विधान सभा क्षेत्रों पर, और यदि राज्य में विधान सभा में 40 या इससे कम सीट हो, तो कम से कम 5 सीटों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा ;
- (ii) दल द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम संख्याओं तथा नामों के संबंध में सूचना आयोग में निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) के जारी होने की तारीख से तीन पूर्ण दिन पूर्व दे दी जाती हैं ;
- (iii) निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से दल, अधिमान्यता के क्रम में, 10 प्रतीकों का नाम देगा ;
- (iv) दल यह भी शपथपत्र देगा कि यदि दल उपर्युक्त शर्त (i) में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है तो उनके अभ्यर्थी, उनके प्रतीक आवंटन के दिन, एक ही प्रतीक के आवंटन के हकदार नहीं होंगे; तथा इसके अतिरिक्त, दल आयोग के समक्ष मिथ्या घोषणा करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा ।

(ख) लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन में-

- (i) राजनैतिक दल राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 10% (दस प्रतिशत) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, और यदि राज्य में 5 या इससे कम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हों

तो कम से कम दो निर्वाचन क्षेत्रों पर, अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा, जिनमे वह अपने अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रतीक आवंटन करवाना चाहता है ;

- (ii) दल द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की कम संख्याओं एवं नामों के सम्बन्ध में सूचना आयोग में निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी होने की तारीख से तीन पूर्ण दिन पहले दे दी जाती है ;
- (iii) निर्वाचनों के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से दल अधिमान्यता क्रम में 10 प्रतीकों का नाम देगा ;
- (iv) दल यह भी शपथ-पत्र देगा कि यदि दल उपरोक्त शर्त (i) में निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों, में न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थी खड़े नहीं करता है, तो उनके अभ्यर्थी, उनके प्रतीक आवंटन के दिन, एक ही प्रतीक आवंटन के हकदार नहीं होंगे तथा इसके अतिरिक्त दल आयोग के समक्ष मिथ्या घोषणा करने के लिए विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय दण्डात्मक कार्रवाई का भागी होगा ।

#### स्पष्टीकरण-

सन्देह दूर करने के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि:-

- (i) इस अनुच्छेद के अधीन रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आवंटन की सुविधा केवल एक बार होगी, या तो लोकसभा या राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन में, जैसा भी दल चयन करता है, और जिस दल ने इस छूट का एक बार लाभ उठा लिया है वह तदनन्तर किसी साधारण-निर्वाचन में इस छूट का पात्र नहीं होगा ;
- (ii) इस पैरा के अंतर्गत दल के अभ्यर्थियों को एक ही चिन्ह के रूप में प्रदान किए गए प्रतीक उन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जिसमें उस दल ने अपने अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं किया है, अन्य दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों अथवा निर्दलीय अभ्यर्थियों को दिए जाने के लिए उपलब्ध होंगे ;
- (iii) यदि दो या दो से अधिक दल एक ही प्रतीक के लिए प्राथमिकता देते हैं, तब ऐसे दलों में से एक के प्रतीक प्रदान किए जाने का प्रश्न लॉटरी द्वारा इस प्रकार निर्णय लिया जाएगा, जैसा आयोग द्वारा यथा निर्देशित हो ;

- (iv) यदि आयोग के लिए किसी कारणवश दल के अभ्यर्थियों को उन प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक प्रदान करना संभव न हो, जिसके लिए उन्होंने इस पैरा के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता दी है, तो मुक्त प्रतीकों की सूची से कोई अन्य प्रतीक, उस पार्टी के परामर्श से, उस दल को दिया जा सकता है ;
- (v) पैरा 10क में किसी बात के निहित होते हुए भी, राजनीतिक दल जो पहले एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल था तथा जिसने 6 वर्ष पूर्व अपनी मान्यता खो दी थी, वह भी, इस पैरा के अंतर्गत दल की मान्यता रद्द होने के 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन में, उस प्रतीक, जो कि पहले उस दल के लिए आरक्षित था, के आवंटन में एक-बार छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उपखण्ड (iii) में दिए गए शर्त के सिवाय खण्ड (क) या (ख), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करें।

4) पैरा-12 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) का प्रतिस्थापन:-

मुख्य आदेश के पैरा-12 के उप-पैरा (1) के विद्यमान खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(ग) पैरा-10 या पैरा-10क या पैरा-10ख में निर्दिष्ट अभ्यर्थी’

आदेश से,

(कै0एफ0 विल्फ्रेड)  
भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव